15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 948474

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुरादाबाद द्वारा प्रमाणित दर 1,20,000/-रू0 प्रति एकड़ निर्धारित होने का प्रमाण-पत्र आदेश दिनांक 3/8/98 को प्राप्त हो चुका है।

विक्रय-विलेख

बयनामा 3,20,000/- रू0 मालियत 3,26,400/- रू0 स्टाम्प 32,650/-रू0

हम कि **रोहित पसरोचा** पुत्र श्री हकीकत राय एवं **हितेश राय पसरोचा** पुत्र श्री हकीकत राय निवासी गण मौहल्ला कोठीवाल नगर मुरादाबाद. के हैं।

[ROHIT PASRICHA] [HITESH PASRICHA]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 948475

(2)

जो कि मुकिर अब्बल की आराजी काश्त भूमिधरी गाटा सं0 611 छैः सौ ग्यारह क्षेत्रफल 0.535 दशमलव पांच तीन पांच हेक्टेयर लगानी सलाना 14 रू0 20 पै0 खाता0 न0 231 दो सौ इकत्तीस किरम जमीन भूड़ अब्बल सर्किल न0 एक तथा मुकिर दोयम की आराजी काश्त भूमिधरी गाटा सं0 612 छैः सौ बारह क्षेत्रफल 0.567 दशमलव पांच छः सात हैक्टे लगानी सालाना 15.00 रू0 खाता न0 296 दो सौ छियानवे किरम जमीन भूड़ अब्बल सर्किल न0 एक स्थित ग्राम **काजीपुरा** परगना व जिला मुरादाबाद जिसके हम मुकिरान बहैसियत भूमिधर तहां मालिकाना मालिक काबिज व दखीलं हैं। जिसकी निस्वत हमको जुमला अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना तन्हा हम मुकिरान को हासिल हैं। और आराजी मजकूर में सिवाये हम मुकिरान के और कोई दीगर शख्स किसी तरीके पर शरीक व हकदार नहीं है। हम मुकिरान ने इस भूमि पर कोई ऋण सरकारी व गैर

1000Rs.

A-98 22721

(3)

सरकारी नहीं लिया है। आराजी मजकूर इस वक्त तक हर किस्म के मतालबे व मवाखजे व रहन व दान व जमानत व मकरूकी व जरे डिक्री वगैरा से कतई बरी व पाक साफ है। लिहाजा व खुशी व रजामंदी अपनी बिला बहकावे व सिखावे व दबाव नाजायज किसी के बदरूरती होश हवास खमसा अपनी के उस कुल आराजी भूमिधरी मजकूरा वाला को मय तमामी हकूक मुत्तालिका उसके बिलमुक्ता बिल एवज् मुबलिग **3,20,000/- तीन लाख बीस हजार रू0** जिसके आधे 1,60,000/- एक लाख सात हजार रू0 होते हैं बदस्त **इन्द्रजीत सिंह** पुत्र श्री अवतार सिंह व **अवतार सिंह** पुत्र स्व0 श्री भगत सिंह व **श्रीमती निशा रस्तौगी** पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह व **श्रीमती गुरूवंश कौर** पत्नी श्री अवतार सिंह नि0 ग्राम सिविल लाइन्स

A-98 22722

(4)

मुरादाबाद बय कतई व राही की और बेच दी हमने और कुल जरे समन उसका इस प्रकार कि मुव0 50,000/- रू0 द्वारा चैक संख्या ए0/549/527241 दि0 25/6/98 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुरादाबाद व मुव0 50,000/- रू0 द्वारा चैक सं0 ए/549/527221 दि0 25/6/98 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुरादाबाद कब्ल रजि0 बैनामा तथा शेष धनराशी मुव0 2,20,000/- रू0 वक्त रजि0 बैनामा द्वारा चैक संख्या ए/ 549/527246 दिनांक 5/8/98 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुरादाबाद खरीदारान मजकूर से वसूल पाकर तमामी शय मुवइया को अपने कब्जे व दखल मालिकाना से निकालकर उस पर कब्जा व दखल मालिकाना अपने समान खरीदारान मजकूर का करा दिया हमने। जुमला हकूक का अख्तयरात निश्वत शय मुवइया जो हम मुकिरान को हासिल थे वह सब और कुल आज़ की तारीख से वर तरफ खरीदारान मजकूर मुन्तकिल हो गये। अब खरीदारान मजकूर को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी में से

हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें। हम मुकिरान को कोई उज्र किसी प्रकार का न होगा। अब हमारा और हमारे किसी वारिस का कोई हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का आराजी मुवईया से शेष नहीं रहा और न आइन्दा होगा। चुनाचे तकाबिजउल बदलैन उसका वाहम हमारे और खरीदारान के अमल में आ गया। अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल हमारे या कर्जख्वाह या औलाद हमारी याा खानदानी हमारे अथवा किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शय मुवइया जुज या कुल कब्जे खरीदारान या कायम मुकामान

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

खरीदारान से निकल जावे या बगरज ताहफ्फुज शय मुवइया खरीदारान को कुछ सरफा मजीद खर्च या अदा करना पढ़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी के हम मुकिरान खरीदारान को कुल हर्जे व खर्चे अदालती व गैर अदालती सहित अपनी दीगर चल व अचल सम्पत्ति से होंगे। गरज कि आज तक की समस्त कानूनी देनदारियाँ व जिम्मेदारियाँ व जिम्में हम मुकिरान होंगी। लिहाजा यह **बैनामा** कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे इति।

50 Rs.

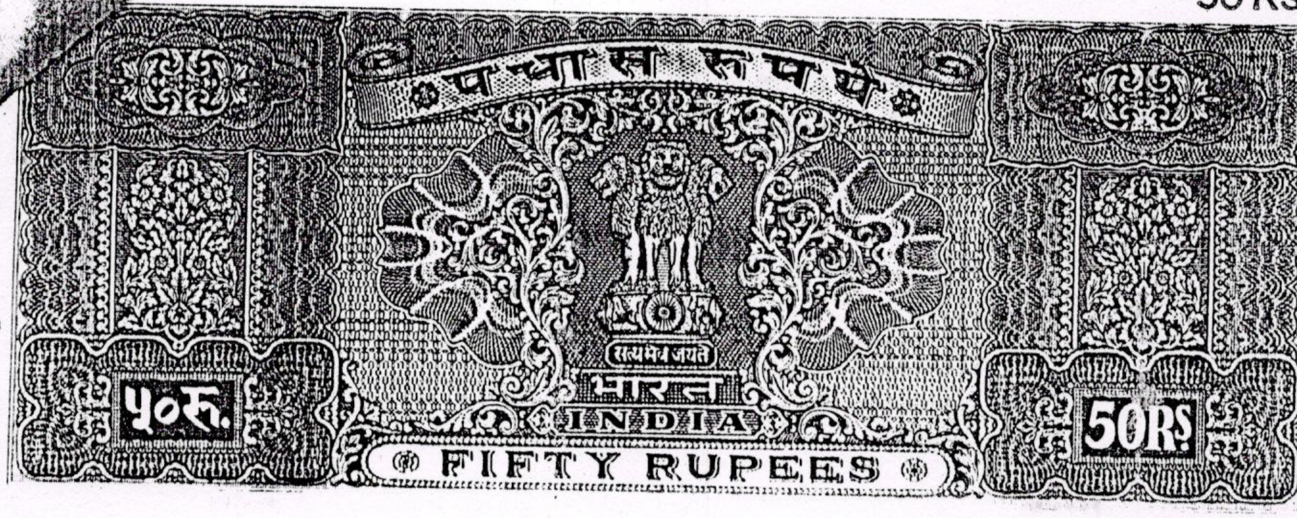

(7)

विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है। जो बाहर हदूद महापालिका है। किस्म जमीन व सर्किल नम्बर का प्रमाण–पत्र तहसीलदार मुरादाबाद से प्राप्त कर लिया है और कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद से विक्रीत भूमि के सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न होने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पत्रांक संख्या 181 एक सौ इक्यासी दिनांक 3/8/98 ई0 को प्राप्त कर लिया है। विक्रीत भूमि का मूल्यांकन स्टाम्प शुल्क देय हेतु दर 1,20,000/– रू0 प्रति एकड़ निर्धारित करने का प्रमाण–पत्र कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) मुरादाबाद से पंत्राक 371/ स्टाम्प लिपिक / 98 दि0 3/8/98 को प्राप्त कर लिया है। जिसकी एक प्रति कार्यालय उ0 नि0 (प्रथम) मुरादाबाद को प्राप्त हो चुकी है।कलक्टर महोदय द्वारा भी उक्तकृषि भूमि का भू– उपयोग भूड़ अव्वल सर्किल न0 एक

का प्रचलित मूल्यांकन सूची के द्वितीय भाग उप खण्ड (ख) पृष्ठ चार के अनुसार दर 1,20,000/- प्रति एकड़ निर्धारित है इसी दर से आराजी गाटा सं0 611 क्षेत्रफल 0.535 हैक्टे0 जो बराबर 1-32 एकड़ है की मालियत 1,58,400/- रू0 तथा गाटा सं0 612 क्षेत्रफल 0.567 हैक्टे0 जो बराबर 1-40 एकड़ है की मालियत 1,68,000/- रू0 इस प्रकार दोनों गाटों की मालियत 3,26,400/- रू0 होती है। इसी पर हस्व कायदा 32,650/- रू0 का जनरल स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेतागण के फोटो राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (एडवोकेट) ने प्रमाणित किये।

हस्ताक्षर विक्रेता........................ हस्ताक्षर विक्रेता........................

हस्ताक्षर साक्षी........................ (C. K. Dutt) हस्ताक्षर साक्षी........................

HAKIKAT RAI

यह बैनामा आज दिनांक **5 अगस्त सन् 1998 ई0** स्थान मुरादाबाद व इकरार मुकिरान विधिक परामर्श व प्रारूप राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, मानस किशोर विश्नोई ने टाइप किया।

हस्ताक्षर........................
(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एडवोकेट)

हस्ताक्षर........................
(मानस किशोर विश्नोई)

... या भरी की गई

न० पु० .... दिनांक 17/8/98

576

ह० त० 17/8/98

17/8/98

17/8/98

I 1733

3025

143/158

Through Gurbans Kaur
to
Dr. L.S. Saclani